का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/20015/8/2000-रा॰भा॰ (नीति-2), दिनांक 7.4.2000

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों द्वारा अपनी बैठकों में विचार किए जाने वाली मदें।

मंत्रालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से अग्रसर करने के उद्देश्य से हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जाती है। ऐसा देखने में आया है कि कभी-कभी समिति के विचार-विमर्श में राजभाषा में कार्यान्वयन के मूल मुद्दों से हटकर दूसरे विषयों पर चर्चा की जाती है। इससे पहले भी इस संबंध में निदेश जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालयों/विभागों से एक बार फिर अनुरोध है कि हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों को पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाये और उनमें निम्न विषयों पर चर्चा की जाये और समिति का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये:

(i) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मदों पर चर्चा।

(ii) केन्द्रीय अधिनियमों/नियमों के हिन्दी अनुवाद की स्थिति।

(iii) सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने के बारे में स्थिति।

(iv) द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग की स्थिति।

(v) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान उपलब्ध कराना।

(vi) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति।

(vii) पिछली बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि।

(viii) उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

(ix) उच्च अधिकारियों द्वारा हिन्दी में टिप्पणी।

(x) पत्रिकाओं में मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय वस्तुओं पर लेख।

(xi) विभागीय बैठकों में हिन्दी का प्रयोग।

(xii) मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय वस्तुओं पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन।

(xiii) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लेख तैयार करवाना।

(xiv) वेबसाइट के द्विभाषीकरण तथा उस पर हिन्दी में उपलब्ध कराई गई जानकारी की स्थिति।

2. सदस्यों से लाभकारी सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से, इन मदों के बारे में समिति के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि इन विषयों पर विचार-विमर्श करके वे अपनी सलाह दे सकें। इस पत्र की एक प्रतिलिपि सलाहकार समितियों के सभी सदस्यों को उनकी सूचना के लिए भी भेजी जाए।